राजस्व अपील संख्या – 50/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/165

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 50/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/165

अपीलांट्स

1. श्रीमती सायंती पत्नी भोमाराम
2. सुआ पुत्री भोमाराम
3. चैनी पुत्री भोमाराम
4. राणी पुत्री भोमाराम

सभी जातियान मेघवाल निवासीयान ग्राम राजसागर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. श्रीमती हीरा पत्नी भीखाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 गिरधारीराम गोद पुत्र हीरा निवासी राजसागर तहसील चामू, जिला जोधपुर
2. नायब तहसीलदार/उप तहसील बालेसर पदोन्नत पदनाम तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामांतरकरण सं. 682 ग्राम चामू वर्तमान राजस्व ग्राम राजसागर नायब तहसीलदार, बालेसर द्वारा दिनांक 20.01.1983 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला (प्रत्यर्थी सं. 1/1 की ओर से)

निर्णय

दिनांक– 19.09.2025

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, बालेसर द्वारा ग्राम चामू (वर्तमान राजसागर) के नामांतरकरण सं.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

682 पर पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 07.09.2022 को पेश की गई है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण सं. 1 हीरा पत्नी भीखाराम के फौत होने पर उनके प्रतिनिधि के रूप में गिरधारीराम को संयोजित किया गया, जिसकी ओर से श्री उम्मेदसिंह बांवरला व रमेश भादू, अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों में अंकित विवरण अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त व सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चामू (नया ग्राम राजसागर) का ख.नं. 1626 रकबा 2 बिस्वा, ख. नं. 1627 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 1628 रकबा 5 बिस्वा, ख.नं. 1629 रकबा 35–11 बीघा कुल 36 बीघा भूमि भीकाराम, भोमाराम पुत्र मगनाराम 1/2 हिस्सा, सोदाराम, मूलाराम पुत्र चोखाराम, नारायणराम, हडमानराम, बुधाराम, तेजाराम पिता पेमाराम 1/2 हिस्सा की आई हुई है।

सह खातेदार भोमाराम व सोठाराम के फौत होने पर नामांतरकरण सं. 682 दिनांक 20.01.1983 को भोमाराम को लाओलाद बताकर, भोमाराम के सगे भाई भीकाराम पुत्र मगनाराम के नाम दर्ज कर दिया तथा बाद में भीकाराम के फौत होने पर नामांतरकरण सं. 264 से, भीकाराम की पत्नी प्रत्यर्थी सं. 1 हीरा के नाम दर्ज कर दिया, जबकि अपीलांट्स स्वर्गीय भोमाराम की पत्नी/जायंदा पुत्रियां उस समय जीवित थी, जो कि प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा भाई भीकाराम द्वितीय श्रेणी का वारिस था। उक्त नामांतरकरण भोमाराम के सही कानूनी वारिसान की सही जांच किये बिना ही, अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दर्ज किया है, जो कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है तथा आदेश पारित करते समय लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 में विहित प्रकिया की पालना नहीं की है। अतः नामांतरकरण सं. 682 पर पारित आदेश दिनांक 20.01.1983 को अपास्त किया जाकर, अपीलांट्स का नाम भोमाराम की जगह रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

4. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि भींयाराम उर्फ भोमाराम पुत्र मगनाराम के वारिसान अपीलांट सायंती तथा जायंदा पुत्रियां सुआ, चैनी तथा राणी, भोमाराम की मृत्यु के समय जीवित थी, परंतु पटवारी ने भोमाराम को लाओलाद मृत बताकर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 50/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/165

भोमाराम के भाई भीकाराम के नाम नामांतरकरण दर्ज कर दिया, जिसे बिना जांच ही नायब तहसीलदार ने स्वीकार कर दिया तथा भीकाराम की मृत्यु के बाद, भीकाराम व भोमाराम की 1/2 हिस्से की पूरी भूमि भीकाराम की पत्नी हीरा के नाम नामांतरकरण सं. 264 से दर्ज कर दी, जिसकी अपील सं0 120/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर ने निर्णय दिनांक 11.11.2024 से स्वीकार कर, तहसीलदार, बालेसर को भीकाराम के वारिसान की जांच कर उनका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु रिमाण्ड कर दी है, क्योंकि नामांतरकरण सं. 264 ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था।

इसी प्रकार नामांतरकरण सं. 682 पर आदेश नायब तहसीलदार द्वारा पारित करने के कारण यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। हीरा की भी मृत्यु हो चुकी है तथा गिरधारीराम, गोद पुत्र बताकर, पक्षकार बना है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में भी गिरधारीराम ने अपीलांट्स राजीनामा पेश कर, कुल आराजी में 1/4 हिस्सा अपीलांट्स का स्वीकार किया है तथा अपीलांट्स का 1/4 हिस्सा गलती से हीरा पत्नी भीकाराम के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है तथा उसी अनुसार न्यायालय ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार को रिमाण्ड की है। आदेश की प्रमाणित प्रति पेश कर दी है। अतः इस अपील को भी स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को भोमाराम के वारिसान की जांच कर, उनके रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे क्योंकि अपीलांट सायंती भोमाराम की पत्नी है तथा अपीलांट सुआ, चैनी, राणी जायंदा पुत्रियां भोमाराम की है, जो हिदुं उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के संलग्न अनुसूची में प्रथम वर्ग की वारिसान है तथा भोमाराम को लाओलाद मृत बताकर, द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी, भाई भीकाराम के नाम नामांतरकरण गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। मृतक भोमाराम की आक्षेपित आराजी पुश्तैनी भूमि है, जिसमें पुत्रियों का जन्म से ही अधिकार है। आक्षेपित नामांतरकरण बिना किसी प्रकार की सूचना दिये पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को गलत इन्द्राजों की जानकारी नामांतरकरण की नकल लेने पर दिनांक 10.08.2022 को हुई तथा अपील दिनांक 07.09.2022 को पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु धारा 5 म्याद कानून के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाकर उत्तराधिकार से प्राप्त अधिकारों को अपीलांट्स को दिलवाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता की उक्तानुसार बहस का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थी गिरधारीराम के विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेदरसिंह बावंरला ने कथन किया कि अपीलांट भींयाराम व भोमाराम एक ही व्यक्ति नहीं है। भींयाराम लाओलाद अविवाहित फौत हुआ है। सन् 1983 के आदेश के विरूद्ध यह अपील सन् 2022 में 39 साल बाद अर्थात् 470 माह बाद पेश की है। अपील स्पष्टतः म्याद बाहर है। विलंब का युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है। प्रथम जानकारी दिनांक 07.08.2022 को होना बताया है तथा अपील दिनांक 07.09.2022 को पेश की है, जो एक दिन की देरी से पेश की है तथा म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी फिस्कल कार्यवाही है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों, हितों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स को उसके लिए नियमित वाद दायर करना चाहिए। अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, अतः उन्हे धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने हेतु न्यायालय से पूर्व में अनुमति लेनी चाहिए थी, जिसके अभाव में यह अपील पोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थी 1 सन् 1983 से ही रिकॉर्डेड खातेदार है तथा आराजी पर कब्जा काश्त है। अतः मय हर्जा–खर्जा अपील अस्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश किया, जिसमें उक्तानुसार बहस में प्रस्तुत कथनों की पुनरावृति ही है।

6. प्रत्यर्थी 1/1 के अधिवक्ता द्वारा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायालय में अंतिम बहस हो जाने के 05 दिवस बाद प्रस्तुत किया है, जो अपील के निर्णय में देरी किये जाने की उद्देश्य से न्यायोचित एवं सद्भावी नहीं होने से खारिज किया जाता है।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अभिकथनों एवं तर्कों पर मनन किया।

8. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं नामांतरकरण सं. 682 ग्राम चामू के कॉलम सं. 5/6 में निम्नानुसार विवरण अंकित हैः–

भीकाराम, भींयाराम पुत्र मगनाराम 1/2, सीदाराम, मूलाराम पुत्र चोखाराम, नारायणराम, हडमानराम, बुधाराम, तेजाराम पिता पेमाराम 1/2 कौम भांबी सा.देह. ख.नं. 1629 रकबा 35–11 बीघा, ख.नं. 1626 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 1627 2 बिस्वा,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ख.नं. 1628 रकबा 5 बिस्वा कुल 36 बीघा खातेदार नामांतरकरण के कॉलम सं. 14 में भींयाराम फौत लाओलाद, सीदाराम फौत होने से उनके जायंदा लडके के नाम नामांतरकरण भरा गया।

पटवारी चामू.

कॉलम सं. 11 में भीकाराम पुत्र मगनाराम 1/2 हिस्सा दर्ज किया, जिसे नायब तहसीलदार, बालेसर ने दिनांक 20.01.1983 को स्वीकृत किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील दिनांक 07.09.2022 को पेश की गई है।

(b)इसी प्रकार भीकाराम के फौत होने पर नामांतरकरण सं. 264 दिनांक 04.08.2005 को दर्ज किया, जिसके कॉलम सं. 14 में भीखाराम ना औलाद फौत पत्नी के नाम, अन्य को फौत बताया गया है तथा कॉलम सं. 9 में हीरा पत्नी भीखाराम 1/2 हिस्सा अंकित किया, जिसे दिनांक 05.08.2008 को सरपंच, ग्राम पंचायत, चामू ने स्वीकार किया। उक्त नामांतरकरण सं. 264 के विरूद्ध अपील सं. 120/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर में इस अपील के अपीलांट श्रीमती सायंती पत्नी भोमाराम, सुआ, चैनी, राणी पुत्रियां भोमाराम ने प्रत्यर्थी मृतक हीरा के कायम मुकाम, गिरधारीराम के विरूद्ध पेश की, जो वर्तमान अपील मीमों के तथ्यों के समरूप तथ्यों पर पेश की गई, जिसमें प्रत्यर्थी गिरधारीराम ने राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर, अपीलांट्स को 1/4 हिस्सा का खातेदार स्वीकार किया तथा कथन किया कि गलती से अपीलांट्स की जगह हीरा का नाम दर्ज हो गया था। न्यायालय ने उक्त राजीनामा रिकॉर्ड पर लेकर, राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार करते हुए, तहसीलदार को वारिसान की जांच कर रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है।

(c)विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने लिखित बहस के पैरा सं. 4 में यह निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा पारित आदेश के अनुरूप अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 682 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार चामू को प्रतिप्रेषित किया जावे। निर्विवाद रूप से अपीलांट्स मृतक भींयाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा उन्होने अपने आपको भोमाराम की पत्नी व पुत्रियों के रूप में दर्शाया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस एतराज किया है कि भींयाराम व भोमाराम एक ही व्यक्ति नहीं है तथा दोनों व्यक्ति अलग–अलग है एवं खातेदार भींयाराम लाओलाद अविवाहित फौत हुआ है परंतु यह एतराज इस स्तर पर मानने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र धारा 5 के जवाब में तथा उपखण्ड अधिकारी,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बालेसर के समक्ष यह एतराज नहीं उठाया गया था तथा लिखित में अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा का हकदार माना है तथा प्रत्यर्थी 1 अपनी उस स्वीकारोक्ति से एसटोप्ड (Estopped) है। प्रत्यर्थी ने लिखित जवाब पेश कर, अपीलांट्स को भींयाराम (उर्फ भोमाराम) की वारिसान नहीं होने का कोई एतराज भी नहीं किया है, बल्कि अपीलांट्स को कुल आराजी में 1/4 हिस्सा पर हकदार स्वीकार किया है।

(d)नामांतरकरण सं. 682 दिनांक 20.01.1983 को अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकार किया गया है तथा आदेश दिनांक 20.01.1983 की जानकारी, दिनांक 07.08.2022 से पूर्व में ही होने का कोई सबूत प्रत्यर्थी ने पेश नहीं किया है। अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(e)प्रकरण में मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 अनुसार, अपीलांट्स अपने नाम अपने पूर्वज द्वारा धारित संपति में दर्ज करवाने की कानूनी रूप से हकदार है तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत अनुसूची में प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिनका जन्म से ही पैतृक संपति में उनका अधिकार है, जिन्हे अपने अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये करवाने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। विधि में उनके अधिकार, हक पहले से ही निहित है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है तथा नायब तहसीलदार, बालेसर द्वारा ग्राम चामू के नामांतरकरण सं. 682 पर पारित आदेश दिनांक 20.01.1983 अपास्त योग्य है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों से यह न्यायालय संतुष्ट है।

आदेश

10. उपर्युक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम चामू के नामांतरकरण सं. 682 पर नायब तहसीलदार, बालेसर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.01.1983 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, चामू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम चामू (वर्तमान नया राजस्व ग्राम राजसागर) के ख.नं. 1629, 1626, 1627 व 1628 कुल रकबा 36 बीघा की भूमि के नामांतरकरण सं. 682 को दर्ज करने से पूर्व के मृतक खातेदार

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 50/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/165

भींयाराम पुत्र मगनाराम के विधिक वारिसान की जांच करते हुए, उनके नाम उक्त आराजी में दर्ज करे तथा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करावे तथा भींयाराम व भोमाराम, एक ही व्यक्ति है, इसकी जांच सुनिश्चित की जावे।

11. पक्षकारान दिनांक 15.10.2025 को तहसीलदार, चामू के न्यायालय में उपस्थित हो।
12. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर को लौटाया जावे।
13. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर